राजस्थान सामान्य ज्ञान

रीति रिवाज/ प्रथाएँ

कला व संस्कृति

हस्तलिखित नोट्स

BY AADARSH KUMAWAT

Rajasthan GK

5000 प्रश्न

टेस्ट देकर पढ़ें और तैयारी को नई दिशा दें

टॉप 1000 प्रश्न

ई - बुक सामान्य ज्ञान

डाउनलोड करलो

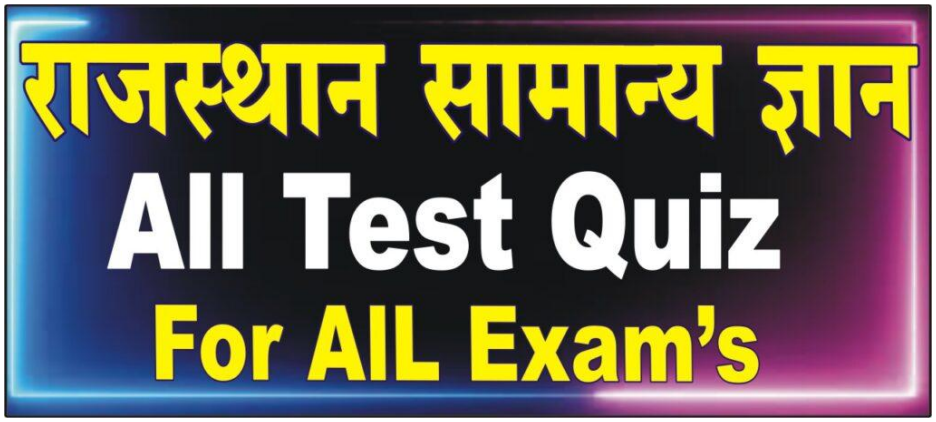

राजस्थान सामान्य ज्ञान
All Test Quiz
For AlL Exam's

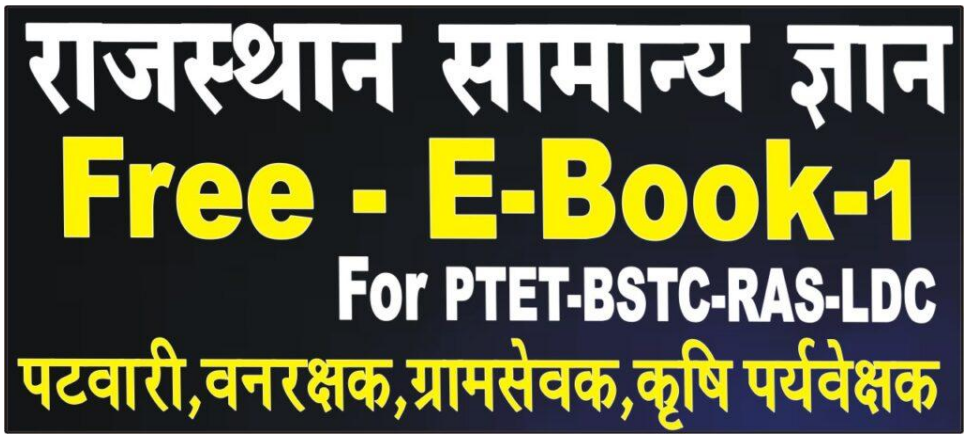

राजस्थान सामान्य ज्ञान
Free - E-Book-1
For PTET-BSTC-RAS-LDC
पटवारी,वनरक्षक,ग्रामसेवक,कृषि पर्यवेक्षक

सम्पूर्ण नोट्स PDF
विषयवार ई–बुक
सभी PDF यहां से डाउनलोड करें

सामान्य विज्ञान
500 - Questions
PDF डाउनलोड

राजस्थान के प्रमुख रीति रीवाज, परम्पराएँ

⇒ (सोलह संस्कार) जन्म से सम्बधित रस्में ।
मनुष्य को अच्छे गुणो व संस्कारो वाला बनाने के लिए सोलह संस्कार किए जाते है।

⇒ गर्भाधान = गर्भाधान से पूर्व उचित काल व धार्मिक क्रियाएँ
⇒ पुंसवन = गर्भाधान के तीसरे माह में देवताओ की स्तुति कर पुत्र प्राप्ति की कामना करना।

⇒ सीमन्तोन्नयन = गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए चौथे, छठे व आठवे माह में किया जाता है।
⇒ जातकर्म = बालक के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार

⇒ नामकरण = शिशु का नाम रखने के लिए 7 वें 10 वें किया जाता है।
⇒ निष्क्रमण = जन्म के चौथे मास में बालक को पहली बार सूर्य व चन्द्र दर्शन कराना।

⇒ अन्नप्राशन = छठे मास में पहली बार अन्न आहार देने की प्रक्रिया
⇒ चूडाकर्म = पहले या तीसरे वर्ष में शिशु को मुण्डवाना (जडूला) संस्कार

⇒ कर्णवेध = शिशु के पांचवे वर्ष में कान बींधने का संस्कार
⇒ विद्यारम्भ = देवताओ की स्तुति कर गुरु के समक्ष अक्षर ज्ञान कराना
⇒ उपनयन = बालक को शिक्षा हेतु गुरु के पास ले जाना (ब्रह्मचर्याश्रम) यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते है, ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य को अधिकार था

⇒ वेदारम्भ = वेदो के पठन-पाठन का अधिकार लेने का संस्कार
⇒ केशान्त या गोदान = 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी के बाल कटवाना
⇒ समावर्तन या दीक्षान्त = शिक्षा समाप्ति पर गुरुदक्षिणा देना घर लौटना
⇒ विवाह संस्कार = विवाह के संस्कार
⇒ अन्त्येष्टि = मृत्यु पर किया जाने वाला दाहसंस्कार

(विवाह के संस्कार) एवं विवाह की रस्में।

⇒ सोटा सोटी खेलना : दूल्हा-दुल्हन गीत गाती स्त्रियों के झुण्ड के बीच गोलाकार घूमते हरे नीम की टहनी को एक-दूसरे को मारते हैं दूल्हे के बाद दुल्हन अपने देवर के साथ साटकी खेलती है।

⇒ बरी : बारात के साथ वधु के लिए जो कपड़े ले जाए जाते हैं।
⇒ भात :- वरावधू के ननिहाल वालों की तरफ से वस्त्राभूषण।

⇒ कांकण डोर : विवाह के समय वर-वधु को मांगलिक सूत्र बांधते हैं
⇒ कंवर कलेवो : दूल्हे को तोरण पर स्वल्पाहार (नाश्ता) रस्म।

⇒ जात देना : विवाह के दूसरे दिन वर-वधू गाँव में माताजी व क्षेत्रपाल के थान पर जात दी जाती है।

⇒ मुकलावा (गौना) बाल विवाह के बाद जब वधु वयस्क होने पर पीहर से ससुराल जाती है तब उसके भाई बंधुओ को गहने, कपड़े आदि भेजे जाते हैं, उसे गौना कहते हैं

⇒ चाक पूजन : यह रस्म विवाह से पूर्व घर की महिलाएँ गाजे बाजे के साथ कुम्हार के घर जाकर चाक पूजन करती हैं लौटते समय सुहागिनें सिर पर जेगड़ लाती हैं और उसे जंवाई उतारता है

⇒ ढोला : दुल्हन की झोली भरने की रस्म
⇒ जुवाछवी/जुआजुई : परात में छाछ भरकर चांदी की अंगूठी डालकर वर वधू को खेलाया जाने वाला खेल।

⇒ पगधोई : वरवधू के पिता के पांव धोने की रस्म
⇒ पहरावनी/रंगबरी : विवाह के विदाई के समय कन्या पिता की ओर से दिए जाने वाले वस्त्रादि।

» टीका = मंगनी के समय कन्या पक्ष की ओर से दूल्हे को भेंट
» बांदरवाल = घर के प्रवेश द्वार पर पत्तों बनी बांदरवाल लटकाई जाती
» पीठी = वर वधू को हल्दी लगाकर सौन्दर्य को निखारना

» फेरा = वर वधू परिणय सूत्र में अग्नि के समक्ष सात फेरे लेते है एवं सात वचन देते है।
» सीख = विवाह बाद वर-वधू को सीख (भेंट) देकर विदा करना
» बिंदोली = विवाह के एक दिन पूर्व वर/वधू के लिए मांगलिक कार्यक्रम ब॰ दोली, हल्दीरात, मेहन्दीरात इत्यादि अन्य रस्में इसी दिन।
» बढ़ार = विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रीतिभोज
» कांकनडोर = विवाह के पूर्व वर/वधू को मोली का धागा बांधा जाता है।
» तोरण मारना = दूल्हे द्वारा दुल्हन के घर लगे तोरण को छड़ी लगाना

» बागपकड़ाई = दूल्हे की घोड़ी की लगाम पकड़ने का नेग
» सप्तपदी = चौथे फेरे के बाद वर द्वारा वधू के दाहिने कंधे पर हाथ रखकर वेदी के उत्तर की तरफ ईशान कोण मे एक-एक पद आगे बढ़ाने की क्रिया।

» सामेलो = दूल्हे व बारातियों का नगर/ग्राम द्वारा स्वागत।
एवं जो बरी लाई जाती है वही पर दुल्हन के वस्त्रों के रूप में दी जाती

» सुहागथाल = नवविवाहित वधू के साथ सुहागिन सुहागथाल में भोजन।
» हथलेवो / पाणिग्रहण संस्कार = वर/वधू का हाथ पकड़वाने की रस्म

» हीरावणी = ससुराल में नववधू को दिया जाने वाला कलेवा
» बारणा = दरवाजा रोकना, » पाट बैठना = धृतपान रस्म
» सांकड़ी की रात = बारातियों के लिए 'भेल की मोट' होती है।
» नेतरा लेना, रातीजोगा, मुट्ठी भराई इत्यादि रस्में।
» ओडावणी = कन्या के पिता द्वारा भेंट रूपी वरपक्ष को दिया जाता है
» विनायक पूजन = गणेश जी का पूजन, रैवण / हथाई = विवाह के बाद सभा

(मृत्यु की रस्में)

- मौसर = मृत्युभोज को मौसर, औसर व नुक्ता भी कहते है।
- उठावणा = मृतक की तीन व बारह दिवसीय बैठक समाप्ति
- बिखेर = शव पर पैसे उछालने की क्रिया
- मूकांण = मृतक पीछे उनके सम्बंधियो के पास संवेदना प्रकट करना
- बरसी = मृतक का वार्षिक दिन
- सगातैडो = मृतक के पीछे किया जाने वाला भोज / मौसर
- साथरवाड़ो = मृत्यु उपरांत परिवार वालो के पास संवेदना प्रकट करने का स्थान, बिछाने का वस्त्र, ऐसे स्थान पर बैठने की क्रिया
- बैकुंठी = लकड़ी की होती है जिसमें मृतक को बैठाकर जलाया जाता है।
- लापा = मृतक को आग बेटा या निकट भाई देता है लापा कहते है।
- हुक्का भरने जाना = सातरवाड़ा में बैठने जाने को हुक्का भरना कहते।
- फूल चुगना = मृत्यु के तीसरे दिन शमशान से हड्डियां चुनकर लाई जाती है, फूल चुगना कहते, हरिद्वार में प्रवाहित हेतु लाई जाती।
- पगड़ी बांधना = बारहवें दिन मौसर के बाद बड़े बेटे के पगड़ी बांधी जाती है एवं छोटे बड़े सभी के लिए ये रस्म होती है।
- गंगाजली = मृतक की अस्थियाँ गंगा प्रवेश के उपरांत निश्चित समय पर दिया जाने वाला भोज -
- तीयाँ = मृतक का तीसरा दिन, जिसमें संस्कार होते है
- धोवणा = मृतक की भस्मी नदी या तीर्थस्थान में डालने के बाद का भोजन
- पिंडदान = मृतक के पीछे किए जाने वाले पुण्यदान, तर्पण आदि
- कागोल = काग / कौओं को चुग्गा व रोटी देना।

⇒ राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं :

"कुछ विशिष्ट प्रथाएं"

= सती प्रथा = सर्वाधिक प्रचलन राजपूत जाति में,
राज्य में सर्वप्रथम 1822 ई. को बून्दी में गैर कानूनी घोषित,
→ पत्नि द्वारा अपने पति के शव के साथ जिन्दा जलना
सती एवं सहगमन, सहमरण भी कहा जाता था।

→ अनुमरण = पति की मृत्यु व दाह संस्कार अन्यत्र
एवं उसकी किसी वस्तु के साथ सती होना।
→ माँ सती : अपने मृत पुत्र के साथ सती होने वाली महिलाएँ
→ अणख : सती स्त्री द्वारा दिया गया आदेश, पालना आवश्यक

⇒ राजस्थान में पहली बार सती की जानकारी वि.स. 861
के घटियाला शिलालेख (जोधपुर) से मिलती है।
सेनापति राणुका के साथ उसकी पत्नी संपत देवी सती हुई।

→ सती प्रथा पर 1822 में बून्दी, पश्चात् 1830 में अलवर
1844 ई. जयपुर, 1860 में जोधपुर, 1861 ई. में उदयपुर एवं
1862 में कोटा राज्य में रोक लगाई गई।

→ राजा राममोहन के प्रयत्नों से 1829 ई. में गवर्नर
जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक ने 1830 में सम्पूर्ण भारत में रोक।
इस अधिनियम से राजस्थान में पहली बार रोक अलवर में लगी।

⇒ राजस्थान की अंतिम सती 1987 ई. में दिवराला (सीकर)
के मोहनसिंह की पत्नि रूपकंवर को माना जाता है
इसके बाद राज्य में सती निवारण अध्यादेश, 1987
लागू कर इसे प्रतिबंधित कर दिया।

RAJASTHAN CLASSES

टेलीग्राम **website** व **youtube** ज्वाइन करने के लए आइकॉन पर क्लिक करें

Pdf को अपने मत्रो के साथ शेयर जरुर करें

⇒ कन्या वध - मारवाड़ राजपूतों में अत्यधिक प्रचलित कन्या को जन्म लेते ही उसे अफीम देकर मार दिया जाता था या गला दबा दिया जाता था।

→

→ हाड़ौती में पोलिटिकल एजेंट विलकिंसन की मदद से राज्य में सर्वप्रथम कोटा में 1833 को महाराव उम्मेदसिंह के शासनकाल में गैर कानूनी घोषित।
बून्दी में 1834 को कन्या वध गैर कानूनी घोषित।

नोट - राज्य में सबसे पहले कैप्टन हॉल (मेवाड़) के मेर लोगो की पंचायत में कन्यावध बन्द करवाया।

⇒ विधवा विवाह - पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नि को विधवा होने पर सम्पूर्ण जीवन कष्टमय बिताना पड़ता है।
→ ईश्वरचन्द्र विद्यासागर एवं लॉर्ड डलहौजी के प्रयासो से 1856 ई. मे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया तथा 1856 को यह कानून लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया।

→ सर्वप्रथम जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने 'विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया व उचित ठहराया'।
→ विधवा विवाहनामक पुस्तक "चांदकरण शारदा" ने लिखी।
→ प्रथम विधवा विवाह - 6 दिसम्बर 1856, कलकत्ता में सम्पन्न हुआ

⇒ पर्दा प्रथा → प्राचीन एवं मुख्य रूप से मध्यकालीन समय में स्त्रीयो व कन्याओं को बाहरी आक्रांताओ की कुदृष्टि से बचने के लिए इस प्रथा का उदय हुआ।
- राजपूत जाति में यह प्रथा विशेषत: पायी जाती है।
→ स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस प्रथा के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया।

→ बाल विवाह = छोटे बालक व बालिका की शादी करना।
ग्रामीण अंचल मे आखातीज (वैशाख शुक्ल तृतीया) को बाल विवाह का अधिक प्रचलन है।
→ रोकने का प्रयास: अजमेर निवासी 'हरविलास शारदा ने 1929 में एक कानून बनाया एवं जिसे अंग्रेजी सरकार द्वारा 1929 मे शारदा एक्ट (लड़का - 18 उम्र, लड़की 14 उम्र) के नाम से पास किया, 1 अप्रैल 1930 में पूरे भारत मे।
→ बाल विवाह निरोध अधिनियम, सम्पूर्ण देश मे लागू

डाकन प्रथा - भील व मीणा जाति मे डाकन प्रथा प्रचलित माना जाता था कि किसी महिला में पुरुष या स्त्री चुड़ैल की असंतृप्त आत्मा प्रवेश कर गई है। और उसे अग्नि में विशेष प्रकार की परीक्षा देनी पड़ती थी। अगर स्त्री जीवित बच जाती थी तो उसे डाकन मान लिया जाता था
→ उदयपुर (मेवाड़) राज्य के शासक स्वरूपसिंह के समय मेवाड़ भील कोर के कमांडेट जे.सी. ब्रुक ने खेरवाड़ा . उदयपुर में अप्रैल 1853 में प्रथा गैर-कानूनी घोषित।

→ नाता प्रथा ⇒ इस प्रथा के अनुसार पत्नि अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है
यह प्रथा अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों (सर्वाधिक आदिवासियों) में

⇒ डावरिया प्रथा ⇒ राजा महाराजाओं के शासन काल में इनके द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भी दी जाती थी, डावरी भी कहा जाता था,

→ त्याग प्रथा: सर्वप्रथम 1841 ई. में जोधपुर राज्य में इस प्रथा को सीमित करने का प्रयास किया गया।
राजपूत परिवार के विवाह में चारण, भाट, ढोली आदि हठपूर्वक दान दक्षिणा की मांग करते थे, इसे पोल पात बारहठ भी कहा जाता।

→ केसरिया करना: राजपूत योद्धाओं द्वारा पराजय की स्थिति में केसरिया वस्त्र धारण कर शत्रु पर टूट पड़ना उन्हें मौत के घाट उतारकर स्वयं भी असिधारा का आलिंगन होना। जो युद्ध साके के रूप में भी कहलाए→

→ जौहर प्रथा = युद्ध में जीत की आशा समाप्त हो जाने पर शत्रु से अपने सतीत्व की रक्षार्थ वीरागनाएं दुर्ग में प्रज्वलित अग्निकुण्ड में कूदकर सामूहिक आत्मदहन कर लेती थी।

→ समाधि प्रथा = साधु महात्मा एवं चमत्कारिक पुरुष द्वारा मृत्यु को वरण करने के उद्देश्य से भू समाधि या जलसमाधि लेना। सर्वप्रथम सन् 1844 में जयपुर राज्य ने समाधि प्रथा को गैर-कानूनी।

→ औरतो, लड़कियो का क्रय-विक्रय करना = मध्यकाल से 19वीं सदी के मध्य तक राजस्थान में प्रचलित
यह एक मानवीय व्यापार कुप्रथा थी।
कोटा रियासत ने सर्वप्रथम 1831 में प्रतिबंध लगाया।
तो 16 फरवरी 1847 ई. में जयपुर में क्रय-विक्रय अवैध घोषित
—ध्यान रहे = कोटा राज्य में इस क्रय-विक्रय पर "चौथान" नामक कर वसूला जाता था।

→ बंधुआ मजदूर एवं सागड़ी प्रथा = उच्च कुलीन वर्ग द्वारा साधनहीन लोगो को उधार दी गई राशि के बदले या ब्याज की राशि के बदले उस व्यक्ति या किसी सदस्य को बिना मजदूरी के अपने यहां घरेलु नौकर के रूप में रख लेना

→ कुकड़ी की रस्म: सांसी जनजाति में यह प्रथा प्रचलित। नव-विवाहिता को अपने चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी होती है

→ चारी प्रथा = खैराड क्षेत्र (टोंक-भीलवाड़ा) मे प्रचलित इस राशि को लेकर लड़की का वैवाहिक जीवन आधिक नही चलने देते और फिर दूसरी जगह से चारी लेकर लड़की को भेज देते थे। कमजोर व पिछड़े वर्ग में प्रचलित।

→ संथारा प्रथा = इसका सम्बंध जैन ग्रन्थो में उल्लेखित है। इस प्रथा मे समत्वभाव से अन्नजल त्याग कर देहत्याग मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। सल्लेखना भी कहते है।
अगस्त 2015 में राज॰ उच्चन्यायालय ने सल्लेखना प्रथा पर रोक लगा दी
→ मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी विधि द्वारा अपना शरीर त्यागा था।

→ मौताणा प्रथा = मरने के बाद (खून-खराबे) के बीच हर्जाना वसूलना।
उदयपुर सम्भाग में सदियों पुरानी परम्परा थी।
किसी व्यक्ति विशेष या दुर्घटनावश अकाल मृत्यु हो जाती है तो उस मरे हुए व्यक्ति के बदले व्यक्ति विशेष से रुपए एवं धन मांगा जाता था "मौताणा" कहलाता है।
आरोपित व्यक्ति पर सुनाया दण्ड "चढ़ोतरा" कहा जाता था।

→ बेगार प्रथा = वह काम जिसके बदले में मेहनताना प्राप्त न हो बेगार कहलाती है।
रियासती काल में महाराजाओ व जागीरदारो द्वारा, किसानों मजदूरों को बिना शुल्क दिए सेवाएं ली जाती थी। बेगार कहलाती है।
— एकीकरण के बाद बंधित श्रम पद्धति अधिनियम द्वारा रोक।
→ बून्दी में पुरुषों के साथ महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी

(जय हिन्द) जय-जय राजस्थान

- **Rajasthan Gk PDF- क्लिक करे**
- **Hindi Test Quiz – क्लिक करे**
- **HINDI NOTES - क्लिक करे**
- **RAJASTHAN GK NOTES - क्लिक करे**

- **INDIA GK TOP QUIZ– क्लिक करें**
- **RAJASTHAN GK QUIZ – क्लिक करे**
- **GENERAL SCIENCE– क्लिक करें**
- **HINDI SAMAS VIDEO– क्लिक करे**

GK/GS टॉप 1000 प्रश्न –
Download Now

राजस्थान GK हस्त ल खत नोट्स
DOWNLOAD NOW

भारत सामान्य ज्ञान टेस्ट-शुरू करे

RAJASTHAN GK E-BOOK - DOWNLOAD

RAJASTHAN GK TEST–START NOW